रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

K 27/3/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 1985/कार्तिक 28, 1907
No. 228] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 1985 KARTIKA 28, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1985

सा. का. नि./सी. सं. 12/85-प्र. अ.

सार्वजनिक सूचना

फा. सं. 600/2502 (ङ) और (च), 2612 से 2615, 2716/85-प्र. अ. — सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिकारी नियमावली, 1971 (भारत का राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 82/फा. सं. (602/2/70-प्र. अ.) दे दिनांक, 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक

1112 GI/85

सूचना सं. 9/85, दिनांक 16 जून, 1985 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्न लिखित संशोधन करती है —

(1) उप-क्रम संख्या 2716 के बाद की मौजूदा "व्याख्या (2)" हटा दी जाएगी ।

(2) उप-क्रम संख्या 2615 के बाद मौजूदा "व्याख्या" में उप-खण्ड (2) के अधीन "संख्या 2612, 2613 तथा 2615" शब्दों और अंकों के स्थान पर "संख्या 2612 और 2613" शब्दों और अंकों को प्रति-स्थापित किया जाएगा ।

इस सार्वजनिक सूचना को जून, 1985 माह के 16वें दिन से लागू हुआ माना जाएगा ।

सी. वरदराजन्, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th November, 1985

No. DRAWBACK PN-12/85-DBK

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2502(e) & (f), 2612 to 2615, 2716/85-DBK — Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/71-Cus (N.T.), dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the Table published in the Ministry's Public Notice No. 9/85 dated the 16th June, 1985, namely :—

(1) The existing "Explanation (II)" after Sub-serial No. 2716 shall be deleted.

(2) In the existing "Explanation" after the Sub-serial No. 2615, under Sub-clause (2) for the words and figures "Nos. 2612, 2613 and 2615", the words and figures "Nos. 2612 and 2613" shall be substituted.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 16th day of June, 1985.

C. VARADARAJAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985